उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-101/2017/2211/71-1-2017-जी-216/2017
लखनऊ: दिनांक : 12 अगस्त 2017

आदेश

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर एवं सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर में भर्ती गंभीर मरीजों के समुचित उपचार में लापरवाही, शिथिलता बरतने तथा संवेदनशील न होने के साथ अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का समुचित रूप से निवर्हन न किए जाने के कारण, उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली,1956 के नियम-3 का उल्लघंन करने आदि के आरोप में डा0 श्री राजीव कुमार मिश्रा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच के निष्पक्ष निष्पादन हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यालय से सम्बद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करते है।

2- निलम्बन अवधि में डा0 राजीव कुमार मिश्रा को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-1 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई, भत्ता, आदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ता का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

3- उपयुक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब कि श्री राजीव कुमार मिश्रा इस आश्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्त, व्यवसाय में नही लगे है।

राज्यपाल के आदेश से,

डा0 अनिता भटनागर जैन
अपर मुख्य सचिव।

डा0 राजीव कुमार मिश्रा,
कार्यवाहक प्रधानाचार्य,
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 101/2017/2211(1) 71-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को अपचारी अधिकारी को तामील कराते हुए उसकी प्राप्ति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपचारी अधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।